



2026: AHC: 51626

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3435/2026

श्याम सुंदर सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: संदीप कुमार राय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: ए.एस.जी.आई.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप कुमार राय और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश सिंह को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें सी.आर.पी.एफ. की 132वीं बटालियन में हवलदार/जी.डी. के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 01.09.2000 को सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए थे। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, ए.सी.पी. के भुगतान के लिए उनसे बैंक विवरण जमा करने की अपेक्षा की गई थी।
3. वर्तमान याचिका में प्रतिवादियों को ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने हेतु निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया तृतीय प्रतिवादी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, ग्रुप सेंटर, सी.आर.पी.एफ., ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. ऐसे सबमिशन (तर्क) पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

6. विरोधी पक्षों के तर्कों के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका को निस्तारित किया जा रहा है और रिट याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह तृतीय प्रतिवादी के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। तृतीय प्रतिवादी, इसे प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार सख्ती से याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने की कार्यवाही करेंगे। यदि तृतीय प्रतिवादी की यह राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो संबंधित दस्तावेज उन्हें प्रेषित कर दिए जाएंगे।

7. यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किया है।

8. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

दिनांक: 13 मार्च, 2026 .

आशू

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।